(6)

राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 57/2016 – निगरानी

1. सुखलाल पुत्र नाथू जाट निवासी नाथडियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा	बनाम	1. पूनमचन्द पुत्र मांगीलाल मारू निवासी नाथडियास तहसील रायपुर 2. ग्राम पंचायत नाथडियास तहसील रायपुर जरिये सरपचं ग्राम पंचायत नाथडियास तहसील रायपुर 3. ग्राम पंचायत नाथडियास तहसील रायपुर जरिये सचिव ग्राम पंचायत नाथडियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निगरानी आदेश ग्राम पंचायत नाथडियास पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाडा

पत्रावली कमांक 94 पटटा सं. 72 दिनांक 28.09.2012

1. श्री सुनील पारीक अधिवक्ता – निगराकार की ओर से उपस्थित
2. श्री कैलाश चन्द्र काष्ट अधिवक्ता – गैर निगराकार की ओर से उपस्थित

निर्णय

दिनांक 21.06.2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 20.07.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार के कब्जेशुदा भूखण्ड नाथडियास ग्राम पंचायत नाथडियास तहसील रायपुर मे एक भूखण्ड नपती 30 बाई 39 फीट जिसके पडौस पूर्व में भारती देवी पत्नी पूनमचन्द मारू, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर मे हीरा लाल पुत्र चम्पा लाल दगोलिया, दक्षिण में पडत सरकारी जमीन है। जिस पर निगराकार का विगत करीब 40 वर्षों से निरन्तर रूप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा निगराकार के पुत्र रमेश चन्द्र द्वारा उक्त भूखण्ड का पटटा प्राप्त करने हेतु गैर निगराकार सं. 02 व 03 के यहां दिनांक 09.06.2014

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

(7)

को रसीद सं. 26 पुस्तक सं. 1504 के 120/–रूपये भी जमा करा रखे है। गैर निगराकार सं. 01 द्वारा गैर निगराकार सं. 02 व 03 से मिलीभगती कर पटटा हेतु आवेदन किया गया, जिसमें गैर निगराकार सं. 02 व 03 ने गैर निगराकार सं. 01 से मिलीभगती कर उक्त पटटा जारी किया गया। संलग्न पत्रावली में आबादी भूमि में तलिया का जो नक्शा बना रखा है, जिसमें प्रार्थी के हस्ताक्षर नही है व हस्ताक्षर नक्शा/नबीस कौन है? उसके नाम व पते व वल्दीयत भी अंकित नही है व निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण खाली प्रफोर्मा लगा हुआ है, जिसमे न तो कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर है व आबादी भूमि के विक्रय संबंधी मौका निरीक्षण पत्र भी खाली प्रफोर्मा है, जिसमें भी खाली पर गैर निगराकार सं. 02 तत्कालीन सरपंच माया देवी सुथार के हस्ताक्षर हो रखे है, जिससे स्पष्ट है कि गैर निगराकार सं. 01 व 02 ने आपस में मिलीभगती कर फर्जी पटटा जारी करवाया है जो अवैध होकर निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष मे जो तथाकथित पटटा जारी किया गया है जिसकी सम्पूर्ण पत्रावली पर तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर के अलावा अन्य वार्डपंच, सदस्यगण, सचिव के हस्ताक्षर नही है। पंचायती राज 1996 के नियम 145 मे क्रय के लिये आवेदन मे स्थल निरीक्षण व्यय 25/–रूपये की रसीद काटी जाना व नियम 145(3) आवेदक की उपस्थिति मे सचिव स्थल निरीक्षण के पश्चात् मौका पर्चा बनायेगा व धारा 146(2) स्थल निरीक्षण 3 पंचों की कोई समिति गठन होने के पश्चात् वह करेगी व धारा 148 के नोटिस का जारी किया जाना व प्रकाशन कराया जाना आवश्यक है व यदि विक्रय किया जावे तो उपनियम 2 मे उपबंधित रीति मे प्ररूप 22 मे एक नोटिस प्रस्तावित रीति से विक्रय के संबंध में प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुये प्रकाशित करेगी व आक्षेप एक प्रति विक्रीत स्थल पर चस्पा किया जावेगा व सार्वजनिक स्थल पर चस्पा किया जावेगा। लेकिन गैर निगराकार सं. 02 व 03 ने पंचायत राज नियमों को बाला ए ताक रखकर गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में उक्त पटटा जारी किया गया है जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। पटटा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 142 से 158 के प्रावधानों की पालना करनी चाहिये थी, जो नही कर उक्त पटटा जारी किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष मे जारी पटटा पत्रावली सं. 94 पटटा सं. 72 दिनांक 28.09.2012 को निरस्त फरमाया जावे व निगराकार की रसीद के आधार पर निगराकार को पटटा जारी कराने हेतु गैर निगराकार सं. 02 व 03 को आदेश प्रदान करावे।

(8)

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 28.07.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ ग्राम पंचायत से पटटा जारी करने संबंधी पत्रावली तलब की गयी।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी । निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि निगराकार के कब्जेशुदा भूखण्ड नाथडियास ग्राम पंचायत नाथडियास तहसील रायपुर मे एक भूखण्ड नपती 30 बाई 39 फीट जिसके पडौस पूर्व में भारती देवी पत्नी पूनमचन्द मारू, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर मे हीरा लाल पुत्र चम्पा लाल दगोलिया, दक्षिण में पडत सरकारी जमीन है। जिस पर निगराकार का विगत करीब 40 वर्षों से निरन्तर रूप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा निगराकार के पुत्र रमेश चन्द्र द्वारा उक्त भूखण्ड का पटटा प्राप्त करने हेतु गैर निगराकार सं. 02 व 03 के यहां दिनांक 09.06. 2014 को रसीद सं. 26 पुस्तक सं. 1504 के 120/–रूपये भी जमा करा रखे है। गैर निगराकार सं. 01 द्वारा गैर निगराकार सं. 02 व 03 से मिलीभगती कर पटटा हेतु आवेदन किया गया, जिसमें गैर निगराकार सं. 02 व 03 ने गैर निगराकार सं. 01 से मिलीभगती कर उक्त पटटा जारी किया गया। संलग्न पत्रावली में आबादी भूमि में तलिया का जो नक्शा बना रखा है, जिसमें प्रार्थी के हस्ताक्षर नही है व हस्ताक्षर नक्शा/नबीस कौन है? उसके नाम व पते व वल्दीयत भी अंकित नही है व निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण खाली प्रफोर्मा लगा हुआ है, जिसमे न तो कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर है व आबादी भूमि के विक्रय संबंधी मौका निरीक्षण पत्र भी खाली प्रफोर्मा है, जिसमें भी खाली पर गैर निगराकार सं. 02 तत्कालीन सरपंच माया देवी सुथार के हस्ताक्षर हो रखे है, जिससे स्पष्ट है कि गैर निगराकार सं. 01 व 02 ने आपस में मिलीभगती कर फर्जी पटटा जारी करवाया है जो अवैध होकर निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष मे जो तथाकथित पटटा जारी किया गया है जिसकी सम्पूर्ण पत्रावली पर तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर के अलावा अन्य वार्डपंच, सदस्यगण, सचिव के हस्ताक्षर नही है। पंचायती राज 1996 के नियम 145 मे क्रय के लिये आवेदन मे स्थल निरीक्षण व्यय 25/–रूपये की रसीद काटी जाना व नियम 145(3) आवेदक की उपस्थिति मे सचिव स्थल निरीक्षण के पश्चात् मौका पर्चा बनायेगा व धारा 146(2) स्थल निरीक्षण 3 पंचों की कोई समिति गठन होने के पश्चात् वह करेगी व धारा 148 के नोटिस का जारी किया जाना व प्रकाशन कराया जाना आवश्यक है व यदि विक्रय किया जावे तो उपनियम 2 मे उपबंधित रीति मे प्ररूप 22 मे एक नोटिस प्रस्तावित रीति से विक्रय के संबंध

(9)

में प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुये प्रकाशित करेगी व आक्षेप एक प्रति विक्रीत स्थल पर चस्पा किया जावेगा व सार्वजनिक स्थल पर चस्पा किया जावेगा। लेकिन गैर निगराकार सं. 02 व 03 ने पंचायत राज नियमों को बाला ए ताक रखकर गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में उक्त पटटा जारी किया गया है जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। पटटा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 142 से 158 के प्रावधानों की पालना करनी चाहिये थी, जो नही कर उक्त पटटा जारी किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष मे जारी पटटा पत्रावली सं. 94 पटटा सं. 72 दिनांक 28.09.2012 को निरस्त फरमाया जावे व निगराकार की रसीद के आधार पर निगराकार को पटटा जारी कराने हेतु गैर निगराकार सं. 02 व 03 को आदेश प्रदान करावे।

गैर निगराकार के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार सं. 01 द्वारा दिनांक 28.09.2012 यानि उक्त दिनांक 09.06.2014 से लगभग सवा दो वर्ष पूर्व ही गैर निगराकार सं. 01 ने भूखण्ड की समस्त लागत 49,140/–रूपये ग्राम पंचायत नाथडियास में जमा करवा दिये गये थे तथा ग्राम पंचायत नाथडियास के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा उक्त समयावधि से पूर्व ही दिनांक 01.10.2012 को विक्रय विलेख पत्र गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष मे निष्पादित कर उप पंजीयक के यहां पंजीकृत करवा दिया है। ऐसे पंजीकृत दस्तावेज को किसी भी प्रकार से बिना कानूनी तौर निरस्त कराये बगैर उक्त विक्रय पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है। पंजीकृत विक्रयपत्र निरस्त करवाने की क्षैत्राधिकारिता एवं श्रवणाधिकारिता केवलमात्र दीवानी न्यायालय को प्राप्त है, इस कारण निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान सरकार के पोर्टल पर भी फरवरी 2016 में एक शिकायत दर्ज करवाई गयी थी तथा तहसीलदार रायपुर को भी दिनांक 17.06.2016 को शिकायत दर्ज करवाई गयी थी। गैर निगराकार सं. 01 द्वारा एक शिकायत विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर को आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में निगराकार के विरूद्व प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार करीब 2 बीघा भूमि पर निगराकार ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसका कोई भी दस्तावेज निगराकार के पास नही हैं। निगरानी में अंकित विवादित पटटा नियमानुसार जारी किया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा निर्माण की स्वीकृति आदेश दिनांक 17.06.2014 को जारी किया गया है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी खारिज

फरमायी जावे। (10)

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत नाथडियास की पत्रावली सं. 94 के परीक्षण अनुसार गैर निगराकार सं. 01 ने ग्राम पंचायत नाथडियास में भूखण्ड हेतु आवेदन पत्र, नक्शा व मौका निरीक्षण की राशि 120/-रू. जरिये रसीद सं. 74 दिनांक 22.02.2012 को जमा करायी। सरपंच ग्राम पंचायत नाथडियास ने दिनांक 06.04.2012 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु तीन सदस्यों की कमेटी बनायी जाकर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये। निरीक्षण कमेटी द्वारा दिनांक 16.04.2012 को निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत की कार्यवाही विवरण दिनांक 23.4.2012 के अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा होना अंकित करते हुये इसका बेचान प्राईवेट बातचीत से किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही नियम 148 के तहत आपत्ति जारी कर आपत्तियां एक माह की अवधि में आमंत्रित की गयी। ग्राम पंचायत के कार्यवाही विवरण दिनांक 18.07.2012 के अनुसार एक भी आपत्ति ग्राम पंचायत में प्राप्त नही हुयी। इसके पश्चात् दिनांक 07.09.2012 को सरपंच ग्राम पंचायत नाथडियास ने निर्णय पारित किया कि "श्री पूनमचन्द पिता मांगीलाल मारू निवासी नाथडियास को मुआफिक नक्शा एवं माप के अन्दर हल्का आबादी नाथडियास में स्थित स्वयं के कब्जेशुदा भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 1170.00 वर्ग फीट होकर इस भूखण्ड की तहसीलदार रायपुर से जारी नवीनतम डीएलसी दर से 42/-रू. प्रति वर्गफीट राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कुल राशि रू. 49,140/-रू. में प्राईवेट बातचित से बेचान किये जाने का निर्णय कोरम के प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 07.09.2012 द्वारा सर्वसम्मति से किया गया एवं प्रारूप 23 मे दिनांक 28.09.2012 को पटटा जारी किया गया।" सरपंच ग्राम पंचायत/सचिव ग्राम पंचायत नाथडियास ने दिनांक 01.10.2012 को पटटा लीज डीड का उप पंजीयक रायपुर में पंजीयन कराया गया। ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा क्रमांक/ग्रापनी/ पंचायत / 2014,15/45 दिनांक 27.06.2014 से पटटा क्रमांक 72 दिनांक 28.09.2012 के भूखण्ड पर नव निर्माण हेतु 790/-रू. की राशि जमा कर स्वीकृति जारी की गयी। निगराकार ने गैर निगराकार सं. 01 के नाम जारी आवसीय भूखण्ड के पटटे की भूमि पर अपना कब्जा होना निगरानी में अंकित किया है, जबकि निगराकार द्वारा अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे उक्त भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा प्रमाणित होता हो। गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी

पटटे का पंजीयन हो चुका है। निगराकार को पंजीबद्ध पटटे को निरस्त करने की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में ही कराना चाहिये। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नही ठहरती है। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 खारिज की जाकर अधिनस्थ ग्राम पचांयत द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत नाथडियास पत्रावली सं. 94 पटटा सं. 72 दिनांक 28.09.2012 को यथावत रखा जाता है। तलबिदा रेकार्ड मय निर्णय प्रति के अधिनस्थ ग्राम पंचायत नाथडियास को पालनार्थ लौटाया जावे । आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

21/6/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा